

राजस्थान सरकार  
परिवहन विभाग

सं. एफ.6 (179)परि/टैक्स/एच.क्यू/95/9ई

जयपुर, दिनांक: 28.09.2004

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 4ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. एफ.6(179)परि./टैक्स/एच.क्यू./95/9सी, दिनांक 1.3.2000 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में .-

सारणी के पश्चात् और टिप्पण के पूर्व निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

“परन्तु कर की रकम एक मोटर यान के लिए 5000 रु० (पांच हजार मात्र) से अधिक नहीं होगी ।”

राज्यपाल के आदेश से  
शासन उप सचिव